

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(13)राज/वाद/19

जयपुर, दिनांक 26/03/2021

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट मैनुअल 1999 के नियम 15(2) 16 एवं 17 के अनुसार श्री ताराचन्द गुर्जर, अधिवक्ता (एनरोलमेंट नं0 आर/2441/04) को अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, सिकराय जिला दौसा में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सिकराय जिला दौसा के रिक्त पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 14,700/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

हृ०

(तनवीर चौधरी)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
5. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
6. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
7. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दौसा।
8. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सिकराय जिला दौसा।
9. जिला कलक्टर, दौसा।
10. कोषाधिकारी, दौसा।
11. संबंधित अभियोजक।
12. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
13. सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
14. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।



(तनवीर चौधरी)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(26)राज/वाद/19

जयपुर, दिनांक 26/03/2021

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैनुअल 1999 के नियम 15(2) 16 एवं 17 के अनुसार श्री राजेन्द्र कुमार पटेल, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं0 आर/216/85) को अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, बिलाडा जिला जोधपुर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, बिलाडा जिला जोधपुर के रिक्त पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 14,700/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से


ह०

(तनवीर चौधरी)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
5. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
6. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
7. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर जिला।
8. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बिलाडा जिला जोधपुर।
9. जिला कलक्टर, जोधपुर।
10. कोषाधिकारी, जोधपुर।
11. संबंधित अभियोजक।
12. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
13. सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
14. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।


(तनवीर चौधरी)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(22)राज/वाद/19

जयपुर, दिनांक 26/03/2021

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैनुअल 1999 के नियम 15(2) 16 एवं 17 के अनुसार श्री रमण लाल बालोच, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं0 आर/1077/05) को जिला एवं सेशन न्यायालय, जैसलमेर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, जैसलमेर के रिक्त पद पर मासिक रिटेनरशिप रुपये 16,800/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

हूँ

(तनवीर चौधरी)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 विशेषाधिकारी (जीएसवाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर।
- 8 जिला कलक्टर, जैसलमेर।
- 9 कोषाधिकारी, जैसलमेर।
- 10 संबंधित अभियोजक।
- 11 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 12 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 13 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 14 रक्षित पत्रावली।


26/03/2021
(तनवीर चौधरी)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(29)राज/वाद/19

जयपुर, दिनांक 26/03/2021

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैनुअल 1999 के नियम 15(2) 16 एवं 17 के अनुसार श्री बाबुलाल माली, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं0 आर/117/95) को अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, देसूरी जिला पाली में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, देसूरी जिला पाली के रिक्त पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 14,700/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

ह०

(तनवीर चौधरी)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
5. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
6. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
7. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली।
8. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, देसूरी जिला पाली।
9. जिला कलक्टर, पाली।
10. कोषाधिकारी, पाली।
11. संबंधित अभियोजक।
12. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
13. सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
14. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।


26/03/2021
(तनवीर चौधरी)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण